

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संचिका सं०-९/निधि-स्कीम (०५०८-ए.वि.बैंक सम्पोषित)-०२-११/२०२६ -

७५(९) WCA २७-०८-२०२६
पटना, दिनांक-

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग (मु०), बिहार, पटना।

विषय : मॉग सं०- ४१ के मुख्य शीर्ष-५०५४-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष- ०३-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष- ३३७-सड़क निर्माण कार्य, उप शीर्ष- ०५०८ - सड़क (एशियन विकास बैंक सम्पोषित), विपत्र कोड- ४१-५०५४०३३३७०५०८, विषय शीर्ष- ०५०८.५३.०१- मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

आदेश : चालू वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में आवंटन विवरणी के स्तम्भ सं०-६ में प्राप्त मॉग पत्र के आलोक में संबंधित कार्यालय को स्तम्भ-४ में अंकित राशि के अनुसार कुल ₹५,००,००,००,०००/- (पाँच अरब रुपये) मात्र निधि का आवंटन किया जाता है। इस आवंटन सहित संबंधित कार्यालय को आवंटन विवरणी के अनुसार वर्ष २०२६-२७ में कुल आवंटित राशि स्तम्भ-५ के अनुसार हो जायेगी।

२. यह व्यय पथ निर्माण विभाग के आय-व्यय २०२६-२७ में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जायेगा।
३. यह व्यय मॉग सं०- ४१ के मुख्य शीर्ष- ५०५४-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष- ०३-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष- ३३७-सड़क निर्माण कार्य, उप शीर्ष- ०५०८ - सड़क (एशियन विकास बैंक सम्पोषित), विपत्र कोड- ४१-५०५४०३३३७०५०८, विषय शीर्ष- ०५०८.५३.०१- मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है।
४. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- २५६१/वि.(२) दिनांक- १७.०४.१९९८, पत्रांक- २३६/वि. दिनांक- ०९.०३.२०२६ एवं पत्रांक-३१४ /वि. दिनांक-०१.०४.२०२६ में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
५. प्रमंडल / निगम/ कार्यालय द्वारा आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के विरुद्ध वित्त विभाग के पत्रांक-एम०-४-५३/२००७-६४३९ दिनांक-२८.०८.२०१८ एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में ही व्यय की जाय।
६. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जायेगा।
७. संबंधित निगम/ प्रमंडल / कार्यालय विभागीय पत्र सं०-४०९९(एस.) दिनांक-११.०५.२०१७, पत्र सं०-९०१(ई.) दिनांक-०८.०२.२०१८ तथा पत्र सं०- ३४०१(ई.) दिनांक-१७.०५.२०१८ द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि का व्यय करेंगे।
८. यह व्यय प्रशासनिक/ प्रावैधिकी स्वीकृति की राशि से अवश्य समाविष्ट होनी चाहिए।
९. आवंटित राशि से अधिक व्यय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। आवंटित राशि से अधिक व्यय के लिए आप पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक माह में स्वीकृत परियोजनाओं पर हुए व्यय का मासिक व्यय विवरणी योजनावार अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में भेजा जाय।
१०. इस आवंटित राशि को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग (मु०), बिहार, पटना CFMS के माध्यम से बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को पटना कोषागार, पटना स्थित पी.एल. खाता संख्या- २४३ (old), जमा खाता नं०- PTCPLA012, विपत्र कोड- K8448001200019 में पुस्त अंतरण हेतु कोषागार को प्रेषित करेंगे।
११. आवंटित राशि से निर्माण कार्य में व्यवहृत विभागीय सामग्रियों के व्यय को शामिल करते हुए राशि का व्यय किया जाय।

